सत्यमेव जयते

फाइल सं0 6/6/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 08 मार्च, 2011

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 28-02-2011 को** 1.00 **बजे अपराह्न** आयोजित दसवीं बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा./सी.सैल)
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दसवीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में **दिनांक 28-02-2011 को** 1.00 **बजे अपराह्न** आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–।** पर है ।

आयोग ने निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: दिनांक 14–02–2011 को आयोजित आयोग की नौवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

आयोग द्वारा दिनांक 14-02-2011 को आयोजित नौवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: दिनांक 14–02–2011 को आयोजित आयोग की नौवीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 14-02-2011 को आयोजित नौवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: अनुसूचित जातियों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान जारी करने के संबंध में निरीक्षण ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी छत्तीसवीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोकसभा) ï राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की उपलब्धियां और अधिदेश, में निम्नलिखित सिफारिश की:-

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या पिछले 3 वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को दी गई निधियाँ वास्तव में उसी उद्देश्य से उपगत की जा रही हैं जिस उद्देश्य से ये प्रदान की गयी थीं और क्या इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन में सुधार हुआ है" ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उनके दिनांक 10-06-2010 के अ.शा. पत्र संख्या 16015/1/2009-एससीडी-VI. खण्ड-III द्वारा आयोग से अनुरोध किया कि सिफारिशों पर कार्रवाई करें और उन्हें की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

उपर्युक्त मामला सम्पूर्ण आयोग की बैठक में रखा गया और आयोग ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि संविधान के अनुच्छेद, 338 के अनुसार आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य स्तरीय समीक्षा और केन्द्रीय मंत्रालयों की समीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का समुचित रूप से उपयोग किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार हुआ है, एन.जी.ओ. द्वारा चलाई जाने वाली अनुसूचित जातियों की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन/ मॉनीटर/आकलन करें । तथापि, आयोग ने पाया कि इसे योजनाओं को चलाने वाले एन.जी.ओ. को सहायता अनुदान जारी करने अथवा स्वीकृति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए । तदनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अवगत करा दिया जाए ।

आयोग ने चाहा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एन.जी.ओ./संस्थाओं/राज्य सरकारों इत्यादि को जारी निधियों/सहायता अनुदान के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वीकृति आदेश की एक प्रति आयोग को भी भेजी जानी चाहिए । (**कार्रवाईः सी.सैल**)

कार्यसूची की मद संख्या 4: **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. शोध और लेक्चररशिप की पात्रता शर्तों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट देना – श्री प्रदीप वर्मा, एडवोकेट–36, त्रिभूरान, उपाध्याय हॉल, हाई कोर्ट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।**

इस मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक प्रश्नावली तैयार की जानी चाहिए और सूचना की पूर्ति हेतु इसे यू.जी.सी. को भेज दिया जाना चाहिए तथा उसके बाद यू.जी.सी. की समीक्षा की जाए । (**कार्रवाईः ईएसडीडब्ल्यू**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 28-02-2011 को अपराह्न 1.00 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित दसवीं बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं.	*नाम एवं पदनाम*
1.	डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2.	श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3.	श्री राजू परमार, सदस्य
4.	श्री एम. शिवाना, सदस्य

अधिकारी

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
4. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव